बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– 24 दिनांक 1-8-07

सेवा में,

सचिव,
<u>कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना</u>
आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना ।

विषयः **श्री तारकेश्वर राय, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, नालन्दा सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर को लहेरी थाना काण्ड संख्या-128/2005 (विहार शरीफ) में श्री आनन्द किशोर, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, नालन्दा के दबाव में अप्राथमिकी अभियुक्त के रुप में साजिश के तहत फँसाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ''संघ'' को यह कहना है कि श्री तारकेश्वर राय, पूर्व उप विकास आयुक्त, नालन्दा सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर को तत्कालीन एवं वर्त्तमान जिलाधिकारी, नालन्दा श्री आनन्द किशोर, भा०प्र०से० के द्वारा साजिश के तहत फँसाने के लिये उन्हें अप्राथमिक अभियुक्त बना दिया गया है । जबकि इस घटना के संबंधित उनके द्वारा कोई राशि की भुगतान नहीं की गयी है । उन्हें फसाया जाना व्यक्तिगत द्वेष को प्रदर्शित करता है ।

जिलाधिकारी, नालन्दा श्री आनन्द किशोर के प्रभाव के चलते वहाँ के आरक्षी उपाधीक्षक, मुख्यालय ने अपने पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में श्री राय को अप्राथमिक अभियुक्त के रूप में नामित किया है । श्री आनन्द किशोर, भा०प्र०से० उस कांड के समय

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1
(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक............................

जिलाधिकारी, नालन्दा के पद पर थे और अब भी वे दूसरे कार्य-काल में जिलाधिकारी, नालन्दा है । इन्होने अपने पद एवं प्रभाव का दूरूपयोग करते हुये पुलिस प्रशासन को प्रभावित कर लहेरी थाना काण्ड संख्या-**128/05** का पर्यवेक्षण मो0 अब्दुल्ला, आरक्षी उपाधीक्षक, मुख्यालय से करवा-कर अपने मनोनूकुल पर्यवेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करवाया । जिलाधिकारी का यह कृत्य सचमुच निन्दनीय है तथा इस प्रकार के कृत्यों से प्रशासन की गरिमा को धक्का लगा है । वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी श्री राय के द्वारा ''संघ'' के महासचिव को समर्पित आवेदन में दिया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है ।

अतः ''संघ'' का अनुरोध होगा कि लहेरी थाना काण्ड संख्या-**128/05** की निष्पक्षता पूर्वक जॉच हेतु किसी आरक्षी-उप-महानिरीक्षक अथवा क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक से करायी जाय जिससे कि श्री राय को न्याय मिल सके ।

1/8/07

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव